

**बिहार - सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन शाखा)**  
**अधिघोषणा**

पत्रांक...../भू-अर्जन,

दिनांक.....

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- नगरदार, थाना न०-72 थाना- चानन, जिला लखीसराय के अंचल चानन में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मलिया नगरदार तेतरहट में आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए एतद् द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा- नगरदार, थाना न०- 72 थाना- चानन अंचल- चानन जिला- लखीसराय के अन्दर भूमि का एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जो मानक माप से कर्मादेश रकवा 2.31 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका अर्जनाधीन खेसरा निम्नांकित है :-

पूर्ण खेसरा :- 141, 142, 144, 151, 152, 15/639, 15/640 एवं 15/641।

अंश खेसरा:- 17, 19, 111, 139, 143, 145, 146, 147, 150, एवं 173।

जिसका निम्नांकित चौहदी के अन्दर है :-


उत्तर - खेसरा सं० 18, 27, 111, 138, 136, 137, 139, 143, 145, 146, 148, 150, 175 एवं 15।


दक्षिण - खेसरा सं० 17, 145, 150, 27, 142, 153, 150 एवं 153।

पूरब - खेसरा सं०- 27, 18, 150, 146, 148, 152, 173, 640 एवं 642।


पश्चिम - सड़क, 141, 144, 153, 151, 638, 639 एवं 640।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर या अन्य खनिजों के खान की आवश्यकता नहीं है। किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भू-अर्जन की जा रही है। इस निर्माण के लिए खोदने या हटाने या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे। यह घोषणा 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबन्ध के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन कार्यालय लखीसराय में देखा जा सकता है।

  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
लखीसराय।

  
समीहता,  
लखीसराय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

  
सरकार के ~~उप-सचिव~~/अवर सचिव।

ज्ञापक:-15.43/278 भू-अर्जन,

दिनांक:-19-06-13

**प्रतिलिपि:-** निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार-पटना को सी0डी0 सहित एवं तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

**प्रतिलिपि:-** उप-समाहर्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, लखीसराय को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पॉच प्रतियों जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध करायी जाय।

**प्रतिलिपि:-** समाहर्ता, लखीसराय, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
लखीसराय।

समाहर्ता,  
लखीसराय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के उप-सचिव/अवर सचिव।